...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

...MS NO.-2024/282

...मसल नम्बर– 89 / 2024

1. श्रीमती सूरज बाई पत्नी स्व0 श्री कन्हैया लाल सैनी, आयु 65 वर्ष निवासी जैन गली, नोरथ साड़ी के मकान में, रामपुरा कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.विष्णु कुमार सैनी पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल सैनी, निवासी बाबा देव मंदिर की गली, दोस्तपुरा, सिविल लाईन्स नयापुरा कोटा राज0

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/3/25

उपस्थिति:–

1.श्री पूजा अग्रवाल अधिवक्ता प्रार्थी।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एक 65 वर्षीय वृद्ध विधवा महिला है एवं वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है तथा वर्तमान में जैन गली, नोरथ साड़ी के मकान में, रामपुरा, कोटा में किराये का कमरा लेकर निवास कर रही है एवं एक शांतिप्रिय महिला है। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है तथा अप्रार्थी प्रार्थीया का पुत्र है, प्रार्थीया के पति का मकान जो कि बाबा देव मंदिर की गली, दोस्तपुरा, सिविल लाईन्स, नयापुरा कोटा में स्थित है, जिसमें दो कमरें, चौक व लेट–बाथ निर्मित है, उक्त मकान के एक कमरें में प्रार्थीया अप्रार्थी के साथ निवास करती चली आ रही थी परन्तु अप्रार्थी के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई और अप्रार्थी ने प्रार्थीया के पास से उक्त मकान के असल दस्तावेज चुराकर अपने पास रख लिये और प्रार्थीया के मांगने पर भी नहीं दिया तथा प्रार्थीया से हमेशा गाली–गलौच करने लगा तथा प्रार्थीया से मारपीट पर आमादा हो जाता और प्रार्थीया को जबरदस्ती उसके मकान से निकालने पर आमदा रहता। अप्रार्थी प्रार्थीया को खाने–पीने को भी समय पर नहीं देता और बीमार होने पर प्रार्थीया का कोई ईलाज आदि भी नहीं करवाता और हमेशा अप्रार्थी एवं उसकी पत्नी प्रार्थीया से दुर्व्यवहार करते और इसी व्यवहार के चलते प्रार्थीया से आये दिन मारपीट करते और प्रार्थीया को जबरदस्ती मकान से बेदखल करने का प्रयास करते, अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को दी जा रही पताड़नाओं से परेशान होकर प्रार्थीया अपने निवास के कमरे में ताला

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रामपुरा, कोटा में किराये का मकान लेकर निवास कर रही है, परन्तु प्रार्थीया के पृथक निवास करने के दौरान अप्रार्थी प्रार्थीया को कोई भरण–पोषण राशि अदा नहीं कर रहा है और ना ही प्रार्थीया की कोई सार–संभाल ली गई है। प्रार्थीया एक वृद्ध महिला है तथा इस वृद्धावस्था में प्रार्थीया कोई धन्धा भी नही कर सकती है तथा प्रार्थीया को स्वयं के खाने–पीने की व्यवस्था करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अप्रार्थी का यह दायित्व है कि वह प्रार्थीया को अपने पास रखे और उसका भरण–पोषण नियमित रूप से करे प्रार्थीया का समय पर ईलाज आदि करावे दवाईयां, खाने–पीने आदि की व्यवस्था करे परन्तु अप्रार्थी अपनी जिम्मेदारियों को वहन नही कर रहा है और प्रार्थीया को उसके मकान में निवास नहीं करने दे रहा है और प्रार्थीया से गाली–गलौच कर मारपीट करने पर उतारू हो जाता है जबकि प्रार्थीया अप्रार्थी से प्रतिमाह भरण–पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थीया द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये अप्रार्थी को एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 27.06.2024 को प्रेषित कर मकान में निवास करने एवं प्रार्थीया को प्रतिमाह 5000/– रूपये भरण–पोष राशि अदा करने हेतु कहा, उक्त नोटिस अप्रार्थी को प्राप्त हो चुका है परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रार्थीया को कोई भरण–पोषण राशि अदा नहीं की है और ना ही प्रार्थीया को उसके मकान में निवास करने दिया है। इसलिए प्रार्थीया को माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया (फरियादिया) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को तलब कर प्रार्थीया को प्रतिमाह भरण–पोषण राशि 5000/– रूपये दिलाये जाने एवं प्रार्थीया को अपने मकान में शांतिपूर्ण निवास करने हेतु आदेशित किया जावे। अन्य न्यायोजित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी प्रार्थीया को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जरिये एस0एच0ओ0 नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, मारपीट एवं घर से बेदखल करने का कथन किया है एवं भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 5,000/– मासिक दिलाये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी को तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये परन्तु अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखा है और ना ही अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिस कारण से प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथन अखण्डनीय रहे जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीया को वर्णित मकान बाबा देव मंदिर की गली, दोस्तपुरा, सिविल लाईन्स नयापुरा कोटा से बेदखल नहीं करे, प्रार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 3000/– रूपये मासिक भरण–पोषण राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 28/3/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा